रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 23, 2004/माघ 3, 1925

No. 20] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 2004/MAGHA 3, 1925

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2004

सं. 1-6/2002-ए एण्ड एल.— समय–समय पर यथासंशोधित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की उप–धारा 10(1) और 36(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) एतद्द्वारा एवं सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारी और स्टाफ नियुक्ति) विनियम, 2001; में संशोधन करके जिसे अब आगे 'मूल विनियम' कहा जाएगा, 'ट्राई' के अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों (स्टाफ) की नियुक्ति को अधिशासित करने वाले निम्नलिखित विनियम बनाता है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारी और स्टाफ नियुक्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम 2004

(2004 का क्रमांक 1)

भाग–I–प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभः

(i) इस विनियम को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारी और स्टाफ नियुक्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम 2004 कहा जाएगा।

(ii) यह विनियम, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

भाग – II – स्टाफ संवर्ग संबंधी विनियम

2 (i) 'मूल विनियम' के स्टाफ संवर्ग से संबंधित, खंड 14 (iii) की सारणी 'ख' में ड्राइवर के ग्रेड/पद के बाद, निम्नलिखित ग्रेड/पद जोड़े जाएंगे, यानेः–

फोटोकापी मशीन आपरेटर
डिस्पैच राइडर